



टी बोर्ड
14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता-700001

दिनांक : 04.04.2024

कार्यालय आदेश सं 04/2024

टी बोर्ड उपनियम, 1955 के उपनियम 45 और 46 के अंतर्गत उपाध्यक्ष, टी बोर्ड को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री एस.एन. राजन, सहायक, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई से संबद्ध के पक्ष में को उक्त कार्यालय के सुचारु संचालन के लिए निम्नलिखित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां सौंपने में प्रसन्नता हुई है, बशर्ते कि वह अग्रदाय लेखा का रखरखाव करेंगे एवं चाय अधिनियम, 1953, चाय नियम, 1954, बोर्ड उपनियम, 1955 चाय के प्रावधानों का और कार्यकारी समिति/बोर्ड के अन्य निर्णय अनुपालन करेगा:-

1.	प्रति अवसर किसी एक मद पर 1,000/- रु तक के संस्वीकृत व्यय (विकास कार्यों के अलावा अन्य);
2.	अग्रदाय राशि रु. 2,000/- से अधिक न रखें (विकास कार्यों के अलावा अन्य);
3.	प्रत्येक मामले (विकास कार्य के अलावा) में किसी भी राशि के लिए चेक पर हस्ताक्षर करें, जहां बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संस्वीकृति दी गई हो। ऐसे सभी मामलों में, भुगतान वाउचर के साथ मुख्यालय के अनुमोदन पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए;
4.	आवश्यकता पड़ने पर किराया, कर, नगरपालिका/जल शुल्क, बिजली/टेलीफोन बिल आदि के भुगतान की सटीक राशि की सीमा तक एक ही चेक पर हस्ताक्षर करें;
5.	बोर्ड के चाय केंद्र, मुंबई के वैध खर्चों का भुगतान करने के लिए चेक पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है;
6.	स्वयं को छोड़कर, बोर्ड कार्यालय, मुंबई में तैनात सभी स्टाफ सदस्यों के संबंध में आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करें;
7.	स्वयं को छोड़कर बोर्ड कार्यालय, मुंबई में तैनात स्टाफ सदस्यों के पक्ष में टीए/एलटीसी अग्रिम स्वीकृत करना;

शक्तियों का उपरोक्त प्रत्यायोजन पूरी तरह से अस्थायी और तदर्थ आधार पर है।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव(प्र)

वितरण:-

1.	श्री एस.एन.राजन, सहायक, टी बोर्ड, मुम्बई	
2.	उ.नि.चा.सं (एनडी)	
3.	वि.स.एवं मु.ले.अ.	
4.	लेखा अधिकारी (जेएजी/एसजी)	
5.	प्रभारी अग्रदाय शाखा, कोलकाता	
6.	उपाध्यक्ष/सचिव के सचिव	
7.	आई.टी. कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित
8.	टीबीइए	
9.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित